

## गंदगी फैलाने वाले भैंस खटाल संचालकों के खिलाफ हुई जुर्माने की कार्रवाई, 8000 रुपए वसूला गया अर्थदंड

भिलाईनगर/ गंदगी फैलाने वाले खटाल संचालकों के खिलाफ फिर एक बार निगम प्रशासन ने जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है! वार्ड 27 घासीदासनगर क्षेत्र में भैंस खटाल संचालकों के द्वारा खटाल के गंदगी को नाली में बहाकर तालाब में गंदगी फैलाया जा रहा था तथा वार्ड में ही राधाकृष्ण मंदिर के समीप नाली पर लोहे की जाली डालकर कब्जा कर व्यवसाय करने वाले दुकानदार पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। विदित है कि निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए हैं तथा सभी जोन के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का स्वयं अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं। जोन आयुक्त पूजा पिल्ले के निर्देश पर वैशाली नगर जोन के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रातः सफाई कार्यों का निरीक्षण के दौरान खटाल संचालक और दुकानदार के विरुद्ध गंदगी फैलाने को लेकर कार्यवाही किए। स्वच्छता मिशन के तहत निगम का अमला सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं , समझाईश के बाद भी डस्टबिन नहीं रखने , इधर-उधर कचरा फेकने, गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जोन 02 वैशाली नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम वार्डों में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड 27 घासीदासनगर पहुंची, जहां भैंस खटाल संचालकों द्वारा खटाल से निकले हुए गंदगी को नाली में बहाये जाने के कारण तालाब में गंदगी पाए जाने पर कार्यवाही किए। गौरतलब है कि वार्ड के नागरिकों ने खटाल संचालकों द्वारा तालाब में गंदगी फैलाये जाने की शिकायत किए थे। जोन आयुक्त के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा एवं स्वच्छता कर्मचारी अंजनी सिंह ने मौके पर अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की। निगम की टीम ने जोन 02 क्षेत्र के अंतर्गत खटाल का गंदगी फैलाने पर वार्ड 27 घासीदासनगर में भिखू यादव से 5000 रुपए, संतोष कुमार से 3000 रुपए तथा अभिषेक किराना से 3000 रुपए सहित 3 लोगों से 11000 रुपए अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की।

